सत्यमेव जयते

संख्या– 4547 /जी0एस0(शिक्षा)/**A16-31**/2025

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 13 अप्रैल, 2026

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1094 दिनांक 04 मई, 2024, अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230529112045, प्रस्ताव क्रमांक 240424031612 तथा प्रस्ताव क्रमांक 250203023314 के माध्यम से प्रेषित निम्नलिखित प्रस्तावों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या	
		2022–23	2023–24 2024–25 2025–26
सुमित्रानन्दन पंत राजकीय महाविद्यालय, गरूड़, बागेश्वर।	बी0ए0 (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान) (अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण)	233	233
	एम0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान) (सत्र 2023–24 में नवीन तथा सत्र 2024–25 से अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण)	—	60 प्रति विषय

(1) महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रम के प्रस्तावित 09 विषयों में सत्र 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त है, स्पष्ट नहीं है तथा प्रस्तावों की निरीक्षण आख्या में बहुउद्देशीय कक्ष, कॉमन कक्ष (छात्र–छात्रा हेतु पृथक–पृथक) उपलब्ध होने का भी उल्लेख नहीं है। इस

क्रम में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि वह स्नातक पाठ्यक्रम के सभी विषयों हेतु सत्र 2020–21 की अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त होने तथा महाविद्यालय में बहुउद्देशीय कक्ष, कॉमन कक्ष (छात्र–छात्रा हेतु पृथक–पृथक) उपलब्ध होने की पुष्टि करने के उपरान्त ही प्रस्तावित सत्रों के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति दी जाये।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों / उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति / सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,
Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 13-04-2026
11:26:41
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 4547 (1) / जी0एस0(शिक्षा) / **A16-31** /2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य / निदेशक, संबंधित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 13-04-2026
13:21:00
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।

File No. RB-EDUC02/127/2025-RAJBHAWAN (Computer No. 1813)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 13/04/2026 05:13 pm